



फतेहगढ़ पुलिस



प्रेस नोट – थाना मेरापुर

दिनांक :- 19.09.2023

**थाना मेरापुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0- 168/2023 धारा 379/411/413 भादवि में
वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।**

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री प्रशान्त कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री विकास कुमार के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक श्री डा0 संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी कायमगंज श्री सोहराब आलम के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मेरापुर पुलिस टीम द्वारा दिनांक- 19.09.2023 को मुखबिर की सूचना पर मनोहर नगर तिराहे से मु0अ0सं0- 168/2023 धारा- 379/411/413 भादवि से सम्बन्धित वांछित 01 अभियुक्त नेकसे उर्फ खड़बड़ पुत्र झब्बू निवासी हिरनखुदा थाना मेरापुर को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. नेकसे उर्फ खड़बड़ पुत्र झब्बू निवासी हिरनखुदा थाना मेरापुर ।

पूछताछ का विवरण:- पूछताछ करने पर अभियुक्त नेकसे उर्फ खडबड पुत्र झब्बू निवासी ग्राम हिरनखुदा थाना मेरापुर ने बताया कि करीब 20 दिन पहले ही मैंने और मेरे भाई प्रेम सिंह पुत्र झब्बू और सुधीर उर्फ पण्डित पुत्र राजनरायन मिश्रा निवासी ग्राम पिलखना थाना मेरापुर ने मिलकर राजकिशोर पुत्र रामवीर निवासी हिरनखुदा के ट्यूबवैल पर लगे ट्रांसफार्मर से करीब 45 लीटर तेल चोरी किया था जिसे हमने मनोहर नगर तिराहे के पास में भोला पुत्र रमेश की ट्यूबवैल पर आपस में बांट लिया था। हम लोग यह तेल डीजल में मिलाकर अपने ट्रैक्टरों में डालकर चला लेते हैं। साहब उसी तेल में से 05 लीटर सुधीर उर्फ पण्डित ले गया था और एक 05 लीटर की पिपिया मैंने वहीं भोला की समर के पास बने जाहरपीर बाबा के मन्दिर के पीछे धान के खेत में छिपा दी थी जिसे मैंने आपको बरामद करा दिया है।

बरामदगी का विवरण:-

1. 01 पिपिया में 05 लीटर ट्रांसफार्मर का चोरी हुआ तेल।

अभियुक्त नेकसे उर्फ खडबड का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 168/2023 धारा 379/411/413 भादवि थाना मेरापुर
2. मु0अ0सं0 233/2022 धारा 3/25 ए एक्ट थाना मेरापुर
3. मु0अ0सं0 259/16 धारा 364/120बी0 भादवि थाना मेरापुर
4. मु0अ0सं0 549/06 धारा 60 EX ACT थाना मेरापुर
5. मु0अ0सं0 130/89 धारा 457/380 भादवि थाना मेरापुर

गिरफ्तार करने वाली थाना मेरापुर पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री जितेन्द्र कुमार
2. हे0का0 अवधेश कुमार
3. का0 हेमराज सिंह





फतेहगढ़ पुलिस



प्रेस नोट – थाना मेरापुर

दिनांक :- 19.09.2023

**थाना मेरापुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0- 168/2023 धारा 379/411/413 भादवि में
वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।**

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री प्रशान्त कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री विकास कुमार के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक श्री डा0 संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी कायमगंज श्री सोहराब आलम के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मेरापुर पुलिस टीम द्वारा दिनांक- 19.09.2023 को मुखबिर की सूचना पर मनोहर नगर तिराहे से मु0अ0सं0- 168/2023 धारा- 379/411/413 भादवि से सम्बन्धित वांछित 01 अभियुक्त नेकसे उर्फ खड़बड़ पुत्र झब्बू निवासी हिरनखुदा थाना मेरापुर को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. नेकसे उर्फ खड़बड़ पुत्र झब्बू निवासी हिरनखुदा थाना मेरापुर ।





फतेहगढ़ पुलिस



प्रेस नोट – कोतवाली फतेहगढ़

दिनांक :- 19.09.2023

कोतवाली फतेहगढ़ पुलिस द्वारा में मु0अ0स0- 461/23 धारा- 457/380 भादवि में वांछित 02 अभियुक्तगणों को चोरी की 01 LED TV(MI) व 01 बड़ी बैटरी (कम्पनी AMRON), 01 इन्वर्टर माइक्रोटेक के साथ किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर ज़ोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री प्रशान्त कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री विकास कुमार के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक डा0 संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रदीप सिंह के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में कोतवाली फतेहगढ़ पुलिस द्वारा मुखविर की सूचना पर सेंट्रल जेल – याकूतगंज रोड से बुढ़नामऊ जाने वाले तिराहे पर से 02 अभियुक्तगणों को 01 LED TV(MI) व 01 बड़ी बैटरी (AMRON), 01 इन्वर्टर (माइक्रोटेक) के साथ गिरफ्तार किया गया। जिसके आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 411 भादवि की बढोत्तरी कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. प्रदीप कटियार पुत्र सुभाष चन्द्र कटियार निवासी बुढ़नामऊ कोतवाली फतेहगढ़
2. अंकित राठौर पुत्र राजीव राठौर निवासी बुढ़नामऊ कोतवाली फतेहगढ़

पूछताछ का विवरण:- पूछताछ पर अभियुक्तगण द्वारा अपने जुर्म की मांफी मांगते हुये बताया गया कि कन्या प्राथमिक विद्यालय ग्राम बुढ़नामऊ में कमरा नं० 1 में लगी हुयी एलईडी टीवी, बैटरी व इन्वर्टर को हम लोगो ने चोरी की है। जो आप लोगो के द्वारा बरामद किया गया है।

बरामदगी का विवरण:-

- 1- 01 LED TV(MI)
- 2- 01 बड़ी बैटरी (कम्पनी AMRON)
- 3- 01 इन्वर्टर (माइक्रोटेक)

अभियुक्त प्रदीप कटियार उपरोक्त का आपराधिक इतिहास -

- 1- मु०अ०स० 461/23 धारा 457/380/411 थाना कोतवाली फतेहगढ़

अभियुक्त अंकित राठौर उपरोक्त का आपराधिक इतिहास -

- 1- मु०अ०स० 461/23 धारा 457/380/411 भादवि थाना कोतवाली फतेहगढ़
- 2- मु०अ०स० 391/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना कोतवाली फतेहगढ़
- 3- मु०अ०स० 333/22 धारा 323/326/504/506 भादवि कोतवाली फतेहगढ़

गिरफ्तार/बरामद करने वाली कोतवाली फतेहगढ़ पुलिस टीम:-

- 1- उ०नि० शंकरानन्द
- 2- का० सूरज
- 3- का० छोटेलाल
- 4- हो०गा० नन्दराम

मीडिया सेल फतेहगढ़